रजिस्ट्री सं. डी (डी एन.)-72 REGISTERED No. D. (D N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 645] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 31, 1984/पौष 10, 1906
No. 645] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 31, 1984/PAUSA 10, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली 31 दिसम्बर 1984

आदेश

का आ 983 (अ) — चूंकि सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं का आ 387 (अ) तारीख 7 जुलाई 1979 से का आ 497 (अ) तारीख 5 जुलाई 1980 से का आ 541 (अ) तारीख 6 जुलाई 1981 से का आ 480 (अ) तारीख 7 जुलाई 1982 और का आ 497 (अ) तारीख 7 जुलाई 1983 तथा का आ 409 (अ) तारीख 6 जुलाई 1984 के साथ पठित भारत सरकार के मूलभूत औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं का आ 426 (अ) तारीख 8 जुलाई 1974 द्वारा (जिस द्वारा उक्त पश्चात्वर्ती उक्त आदेश कहा गया है) मे एसोसिएटेड इन्डस्ट्रीज (असम) लिमिटेड चन्द्रपुर नामक औद्योगिक उपक्रम संसाधन एकत्र का संघ उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 (1951 का 65) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन 31 दिसम्बर, 1984 को विघटन की तारीख भी सम्मिलित है, के लिए ग्रहण कर लिया गया था और मैसर्स असम इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि. को उक्त औद्योगिक उपक्रम का पदभार ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह अपेक्षित है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध मैसर्स असम इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि. को 31 जनवरी 1985 जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, तक चलाने दिया जाए।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 (1951 का 65) की धारा 15क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि उक्त आदेश 31 जनवरी 1985 तक तारीख को सम्मिलित है, प्रभावी बना रहेगा।

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 31st December, 1984

ORDER

S O 983(E)—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No S O 426(E) dated the 8th July, 1974 (hereinafter referred to as the said Order) read with the Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No S O 387(E), dated the 7th July, 1979,

S.O. 497(E), dated the 5th July, 1980, S.O. 541(E), dated the 6th July, 1981, S.O. 480(E), dated the 7th July, 1982, S.O. 497(E), dated the 7th July, 1983 and S.O. 489(E) dated the 6th July, 1984, the management of the chemical unit of the industrial undertaking known as Messrs Associated Industries (Assam) Limited, Chandrapur, was taken over under clause (b) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) upto and inclusive of the 31st December, 1984, and Messrs Assam Industrial Development Corporation Limited was authorised to take over the management of the said industrial undertaking;

And, whereas, the Central Government is of opinion that it is expedient in the public interest that the said industrial undertaking should continue to to be under the management of Messrs Assam Industrial Development Corporation Limited upto and inclusive of 31st January, 1985;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect upto and inclusive of the 31st January, 1985.

[No. 4(4)|80-CUS]

आदेश

का. आ. 984 (अ) —भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं का. आ. 426 (अ) तारीख 8 जुलाई, 1974 द्वारा, मैं एसोसिएटेड इण्डस्ट्रीज (असम) लि. चन्द्रपुर नामक औद्योगिक उपक्रम के (जिसे इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) रसायन एकक का प्रबन्ध, उद्योग (विकास और विनियमन), अधिनियम 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (1) के अधीन 7 जुलाई 1979 तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, अवधि के लिए ग्रहण कर लिया गया था,

और उक्त आदेश की अवधि को 31 जनवरी, 1985 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, समय-समय पर बढ़ाया गया है,

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम के संबंध में अनुसूचित उद्योग, अर्थात् रसायन उत्पादन की मात्रा में कमी को रोकने की दृष्टि से जनसाधारण के हित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 18ख की उपधारा (1) के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा 2 के परन्तुक के खंण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस आदेश के जारी किए जाने की तारीख से ठीक पहले प्रवृत्त सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तांतरणपत्रों, करारों, परिनिश्चयों, पंचाटों स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों का (जो उनसे भिन्न है जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रति प्रतिभूत दायित्वों से संबंधित हैं, जिनका उक्त औद्योगिक उपक्रम या ऐसे उपक्रम का स्वामित्व रखने वाली कंपनी पक्षकार है या जो ऐसे औद्योगिक उपक्रम या कंपनी को लागू है, प्रवर्तन 31 जनवरी, 1985, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, तक की अवधि के लिए निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख से पहले उनके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत सभी अधिकार, विशेषाधिकार बाध्यताएं और दायित्व उक्त अवधि के लिए निलम्बित रहेंगे।

[सं. 4(4)/80-सी.यू.एस.]

ए. पी. सरवन, संयुक्त सचिव

ORDER

S.O. 984(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S. O. 426(E), dated the 8th July, 1974, the management of the chemical unit of the industrial undertaking known as Messrs Associated Industries (Assam) Limited, Chandrapur (hereinafter referred to as the said industrial undertaking was taken over under sub-section (1) of secton 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for the period upto and inclusive of the 7th July, 1979;

And, whereas, the duration of the said order has been extended from time to time upto and inclusive of the 31s January, 1985;

And, whereas, the Central Government is satisfied that in relation to the said industrial underaking it is necessary so to do in the inerests of the general public with a view to preventing fall in the volume of production of the scheduled industry, namely, the chemical industry;

Now, therefore, in exercise of the powers confrred by clause (b) of sub-section (1), read with clause (b) of the proviso to sub-section (2), of section 18FB of the said Act, the Central Government hereby declares that the operaion of all contracts, assurance of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the Order (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the said industrial undertaking or the company owning such industrial undertaking is a party or which may be applicable to such industrial undertaking or company shall remain suspended for a period upto and inclusive of 31 January, 1985 and all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunde before the said date shall remain suspended for the said period.

[No. 4(4)|80-CUS]

A. P. SARWAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985